Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to provide socia l security and insurance coverage to the cameraman and the field reporters of media/ channels.

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): सर, महाराष्ट्र में एक महीने से आप सब ने देखा कि कैसी राजनीति चल रही थी, लेकिन मैं उस पर बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं । जब सारे टीवी चैनल्स पर सारी चर्चाएं चल रही थीं, मुझे एक चीज दिखाई दी । हम जब गाड़ी से निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, हमारे साथ कैमरे चलते थे । कैमरे चलने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू-व्हीलर पर जो कैमरे वाला चलता है, ड्राइवर जो होता है, उसके पास हेलमेट होता है । जो पीछे कैमरामैन चलता है, उसके कैमरे का इतना वजन होता है, जिसके साथ वह चलता है । अगर कोई एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा । मेरे ख्याल से हम सब को सोचना चाहिए । ब्रेकिंग न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, चैनल्स की जिम्मेदारी है, कम्पीटिशन है, मैं समझ सकती हूँ । सारे रिपोर्टर्स 24 घंटे काम करते हैं और गडकरी जी, जो रोड सेफ्टी बिल लाए थे, उसमें सेफ्टी के लिए बहुत प्रधान्य दिया था । हम सब को सोच कर बोलना चाहिए कि जो सारे कैमरामैन हैं, वह आवर्ली बेसिस पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं । उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में हम सब को भी सोचना चाहिए । ब्रेकिंग न्यूज़ जरूर करिए, कम्पीटिशन का जमाना है, मैं समझ सकती हूँ । हर रिपोर्टर 24 घंटे काम करता है । जो यंग लड़कियाँ हैं, वे हमारे घर पर रात को 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे तक खड़ी रहती थीं । न टॉयलेट है, न खाने का ठिकाना है । इस पर हम सब को सोचना चाहिए । उन सब के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए । इनको कुछ सोशल सिक्योरिटी मिले या इंश्योरेंस मिले । हर कैमरामैन और जो फील्ड पर रिपोर्टर होता है, उन पर ओवर टाइम का बर्डन है । उनके बारे में हम सब को कलेक्टिव सुझाव देने चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष : श्री अब्दुल खालेक को श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।